कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के लेखा परीक्षित लेखों के आधार पर, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करती है। प्रतिवेदन को पांच अध्यायों में संरचित किया गया है।

अध्याय 1 - अवलोकन: यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण एवं अंतर्निहित आंकड़े, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों के वृहत राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है

अध्याय 2 - राज्य के वित्त: यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है, पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र रूझान, राज्य की ऋण रूपरेखा और राज्य के वित्त खाते पर आधारित प्रमुख सार्वजनिक लेखा लेनदेन का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3 - बजटीय प्रबंधन: यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों और राज्य सरकार के विनियोग और आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विचलन के रिपोर्ट पर आधारित है।

अध्याय 4 - लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार: यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन के विषयों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय 5 - सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग: यह अध्याय सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्दमों में वे सरकारी कंपनियाँ शामिल है, जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है और ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियाँ है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

राजकोषीय स्थिति

घाटा संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रमुख मानदंड है।

राज्य को 2020-21 में ` 3,114 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ था। मार्च 2021 के अंत में राज्य का राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 4.70 प्रतिशत था।

वास्तविक आंकड़ो पर पहुंचने के क्रम में, अनियमितता जैसे स्पष्ट देनदारियों के आस्थगन के प्रभाव, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करने, नई पेंशन

योजना में कम योगदान, ह्रास तथा मोचन निधि आदि को बदलने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा के उपरान्त, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ` 188.18 करोड़ से कम बताया गया था। इसी प्रकार वित्त लेखों में राजस्व और राजकोषीय घाटा ` 3113.86 करोड़ और ` 14,910.74 करोड़ बताया गया जो वास्तव में ` 3,302.04 करोड़ ` 15,098.92 करोड़ था।

अध्याय-1

राज्य के वित्त

2020-21 के दौरान, राज्य का राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.30 प्रतिशत था, जिसका 42.98 प्रतिशत वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर व्यय किया गया था। वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर किया गया व्यय 2020-21 में राजस्व प्राप्तियों का 45.32 प्रतिशत था।

2020-21 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं पर 38 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 14 प्रतिशत कम व्यय के कारण पूंजीगत व्यय मे ` 1,413 करोड़ की कमी आई।

31 मार्च 2021 को समाप्त राज्य के वार्षिक लेखे के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के बाद से ` 1,111.65 करोड़ का निवेश (सरकारी कम्पनी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं) में किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल 2020-21 के दौरान 'नगण्य' था, जबकि सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान उधार पर 6.13 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को दिए गए ऋण की एक बड़ी राशि (` 24,177 करोड़) मार्च, 2021 के अंत तक बकाया था।

कुल मिलाकर राजकोषीय देनदारियाँ (कुल ऋण) 2019-20 में ` 94,407 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ` 1,09,185 करोड़ हो गई। राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. से अनुपात एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 32.60 प्रतिशत के विरुद्ध 33.90 प्रतिशत था। बढ़ते दायित्वों राज्य सरकार के लिए वित्त की वहनीयता का मुद्दा उठाया। बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन अब तक नहीं किया गया है।

सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन के पश्चात से इसे कोई ब्याज नहीं दिया, जो ` 797.98 करोड़ होता है। ब्याज का भुगतान न करने से राज्य के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और राजकोषीय दायित्व पर प्रभाव पड़ा हालाँकि सरकार ने वर्ष के दौरान ह्रास निधि में ` 303.87 करोड़ का अन्तरण किया।

अध्याय-2

बजटीय प्रबंधन

वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदानों के अधीन कुल बचत ` 21,819.49 करोड़ (कुल बजट का 22.66 प्रतिशत) अनियमित बजट अनुमान का द्योतक है। आगे, इन अनुदानों में अंतिम चार वर्षों के दौरान कम से कम ` 6,500.64 करोड की सतत बचत हुई।

वर्ष के दौरान 34 मामलों (प्रत्येक मामले में ` 0.50 करोड़ या उससे अधिक**)** में प्राप्त कुल ` 5,400.83 करोड (54.51 प्रतिशत) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था।

वर्ष 2001-02 से 2019-20 तक अनुदान/विनियोग पर ` 3,328.68 करोड की राशि का अत्यधिक संवितरण का राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 के दौरान एक विनियोग (13-ब्याज अदायगी) में ` 144.95 करोड का अधिक व्यय किया गया।

अध्याय-3

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

मार्च 2021 तक एकत्रित ` 609.33 करोड़ राशि का श्रम उपकर को श्रम कल्याण बोर्ड (अक्टूबर 2021) में स्थानांतरित नहीं किया गया जिससे संबंधित वर्षों के दौरान (2008-21) राजस्व अधिशेष में वृद्धि हुई और राजकोषीय घाटे में कमी हुई।

राज्य में 31 मार्च 2021 तक, ` 88,047.48 करोड़ राशि के 34,017 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) 2020-21 तक विभिन्न विभागों के पास बकाया थे।

ए.सी. विपत्र पर धनराशि का आहरण और निर्धारित समय के भीतर डी.सी. विपत्र को जमा न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन भंग होता है, बल्कि सार्वजनिक धन का दुरूपयोग और गलत प्रथाओं का जोखिम भी रहता है। 31 मार्च 2021 को, 2020-21 तक आहरित ए.सी. विपत्र के विरुद्ध भारी मात्रा में ` 6,018.98 करोड़ के डी.सी. विपत्र (18,272) जमा नहीं किए गए।

अध्याय-4

सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) थे। इनमें से, केवल 16 एसपीएसई (एक राज्य सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी सहित) के 2020-21 (पिछले तीन वर्षों) तक वित्तीय प्रदर्शन अद्यतन खातों के आधार पर थे, केवल एक ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया, 08 एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए खातों को अंतिम रूप दिया और 07 एसपीएसई ने वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2021 तक अपने खातों को अंतिम रूप दिया।

एसपीएसई का कारोबार 2018-19 में ` 4,433.80 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ` 5,605.82 करोड़ था, जो 2020-21 में घटकर ` 5603.41 करोड़ हो गया।

31 मार्च 2021 को 16 एसपीएसई में से 10 एसपीएसई को ` 1,383.36 करोड़ का घाटा हुआ। इसके अलावा, 10 एसपीएसई में ` 8,153.02 करोड़ का संचित नुकसान हुआ था जिसमें से 31 मार्च 2021 को ` 4,133.04 करोड़ के इक्विटी निवेश के मुकाबले छह एसपीएसई का शुद्ध मूल्य नकारात्मक ` 4,252.60 करोड़ तथा चार एसपीएसई में शुद्ध मूल्य सकारात्मक ` 232.62 करोड़ था।

विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा ` 969.80 करोड़ (2018-19) से ` 1,357.80 करोड़ (2020-21) घाटे के कारण 2018-19 में विद्युत क्षेत्र का आरओसीई (-) 4.66 प्रतिशत से घटकर 2019-20 तथा 2020-21 में (-) 6.42 प्रतिशत हो गया। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, गैर-विद्युत क्षेत्र का आरओसीई 1.71 प्रतिशत से घटकर 1.14 प्रतिशत हो गया।

अध्याय-5